

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

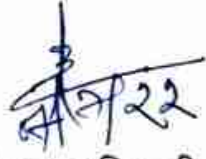
आदेश फलक

वाद संख्या :- २०/मु.मा.वि./2022-23

नाम :- राज कृष्ण कुमर

पिता :- स. पी. कुमर

मौजा :- गिरिलादेर

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
7/7/22	आज दिनांक 7/7/22 को आवेदक राज कृष्ण कुमर, पिता- स. पी. कुमर, ग्राम- गिरिलादेर के द्वारा मौजा गिरिलादेर थाना सं- 144 खाता सं- 110, प्लॉट सं- 419, 420 रकबा- 0.39, 0.10 ए, किस्म जमीन में विवाद के संबंध में सीमा संकक्षी विवाद समाप्त आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक १०/7/22 तक करें। अभिलेख दिनांक- 20/7/22 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर।	
20/7/22	अभिलेख उपस्थापित ! ग्रामीण मुण्डा राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक जाँच प्रक्रिया प्राप्त है उन्हे प्रतिक्रिया दिया है कि मौजा- गिरिलादेर थाना सं- 144 खाता- 110 प्लॉट 419 कुल रकबा 0.39 ए, प्लॉट 420 0.10 ए है समिपान में द्वारा मा-रु लेखा किया	

मा-उ मौरा एवं पुल्हा मौरा, दुआ मौरा, टेणर मौरा (मि-मिम्बर
 मौरा एवं अन्य 5 नाम दर्ज हैं। उक्त मौरा संख्या 149, 120
 संख्या 302: 0.39 ए, 0.10 ए यदि व भी डिग्लर मौरा
 मिता म-उ मौरा। के द्वारा लीमांडन हेतु आवेदन दिया गया है
 परन्तु मौरा 149 कुल संख्या 0.59 ए यदि में के 0.26 ए
 यदि राजकृष्ण उम्दा मिता भी उम्दा ग्राम-मिन्निमोर के
 नाम के नामांतरण मौरा अंचल सचिवारी के सामने
 तामांग के नामांतरण मौरा संख्या 1200 के आधार पर
 नामांतरण दिया गया है द्वितीय पक्ष डिग्लर मौरा के
 इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रथम पक्ष
 राजकृष्ण उम्दा के द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त यदि
 उ-होने जानकारी नहीं मिता-अमोइन न-य के तरीके है इस
 संबंध में उ-होने अंचल सचिवारी में जारी के निर्गत नामांतरण
 मौरा पक्ष नामांतरण मौरा संख्या -102/82-83 संलग्न
 की है इस प्रति हेतु है कि उक्त यदि पक्ष में जानकारी की के
 द्वारा भी लीकी गई थी ग्रामीण मुंडा के द्वारा पूछे जाने पर
 उ-होने जानकारी दी कि भी डिग्लर मौरा ग्राम मिन्निमोर
 का मिन्निमोर निवासी नहीं है जबकि में के मौरा अंचल के
 ग्राम अनुमल, से आकर मिन्निमोर में बस गए हैं। इसने प्रति
 हेतु है कि उक्त यदि पक्ष डिग्लर मौरा का आवेदन देना नहीं है।
 ग्रामीण मुंडा, राजकृष्ण उम्दा मिन्निमोर एवं अंचल

मिन्निमोर के ग्राम परिवार का आवेदन दिया गया एवं निमांड
 10/8/22 को दोनों पक्षों को बुलाई हेतु प्रति लगाया गया
 में उपस्थित होने के लिए अधिसूचना जारी।
 10/8/22 को उपस्थित करें।

- 22/8/22

10/8/22

आमिलेन उपस्थित !

निमांड 10/8/22 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए प्रथम पक्ष
 राजकृष्ण उम्दा द्वारा इस संबंध में बताया कि मौरा

410 में 0.26 एम प्रति मीटर द्वारा लकीरी गई है जो मेरे गन
 मापों से हुआ है उसे द्वारा प्रत्यक्ष मापों से जो माप किया
 जा सही पाया गया। द्वितीय पक्ष विज्ञापन परमाणु में इस
 संबंध में पूछा गया कि अपने द्वारा एक उच्च गति की
 मिक्रो बी गई तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी रखने
 प्रति होता है कि द्वितीय पक्ष की विज्ञापन परमाणु के
 द्वारा अभिमान में के आधार पर गलत इकीनियम बनाकर
 उच्च फ्लैट के पूरे फ्लैट को सीमांकन करने की कोशिश
 की गई जा रही थी।

अतः ग्रामीण पुष्पा का मांच प्रतिक्रिया
 दोनो पक्षों के बीच वधान के अवलोकन एवं राज्य
 उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के मांच प्रतिक्रिया के
 अवलोकन के परामर्श भोजा- मित्रादेव धारा 1-144
 धारा 110 धारा - 119, 120 का सीमांकन हेतु
 किसे मात्र आवेदन को रद्द करने की निर्णय ली गई।

11/02/22